



उ० प्र० सरकार का उपक्रम

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड झाँसी
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, झाँसी

पत्रांक :- 3252

/वि.वि.ख./झाँसी

दिनांक...24.5.23...

—:— कार्यालय ज्ञापन —:—

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग लखनऊ के पत्र सं० 09-सी/पाकालि०-16/2000-3(405)सी/89, दिनांक 01.02.2000 के संशोधन में उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ के आदेश संख्या 469 कार्य-चौदह/पाकालि/2015-16 के/2015/निदेशक(वितरण) दिनांक 25.04.2015, कार्यालय पत्र सं० 696 कार्य चौदह/पाकालि/2015-16 के/2015/निदेशक(वितरण) दिनांक 29.06.2015 एवं कार्यालय पत्र सं० 697 कार्य-चौदह/पाकालि/2015-16 के/2015/निदेशक (वितरण) दिनांक 30.06.2015 के तहत निम्न भावी उपभोक्ताओं का भार पूर्ण जमा योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया जाता है।

नोट:- उक्त आवेदकों की भार स्वीकृति, प्रबन्धन के 05 दिवस के अन्दर संयोजन जारी करने की मंशा अनुरूप किय जा रहा है। अतः प्राकलन के साथ तकनीकी संभाव्यता आख्या, परिसर पर कोई भी विद्युत देय धनराशि बकाया न होने सम्बन्धी आख्या, किसी विद्युत चेकिंग के प्रति राजस्व निर्धारण किया जाना/जमा किया जाना शेष न होना, आवेदित संयोजन परिसर में पूर्व से कोई भी संयोजन न होने सम्बन्धी आख्या, निर्धारण प्रारूप में मात्र जी०पी०एस० आधारित प्राकलन के साथ ही प्रेषित करें। उक्त आख्या के बिना इस कार्यालय को प्रेषित किये जाने वाले प्राकलन को स्वीकार नहीं किया जायेगा। संयोजन स्वीकृति का यह अभिप्राय कदापि नहीं है कि उक्त आख्याएँ भेजना आवश्यक नहीं है।

मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत आवेदित नलकूप संयोजन भारस्वीकृति विवरण निम्नानुसार है-

क्र० सं०	पंजिका क्रमांक	आवेदक का नाम व पता	स्वीकृति भार/विद्या	प्रकमण शुल्क
1.	149/2023-24	श्री अनुरुद्ध सिंह पुत्र श्री जगमोहन सिंह ग्रा साकिन ब्लॉक मोंठ जिला झाँसी। मो०न०-8433376282 आवेदन सं०:- 1008276975 पी०टी०डब्ल्यू० पोर्टल संदर्भित	7.5 एच०पी० एल०एम०वी०-05	रु० 100.00 चालान सं०:- P53668494 दिनांक:-23.05.2023


साथ ही पूण जमा योजना के अन्तर्गत आवेदित नलकूप संयोजन भारस्वीकृति विवरण निम्नानुसार है-

क्र० सं०	पंजिका क्रमांक	आवेदक का नाम व पता	स्वीकृति भार/विद्या	प्रकमण शुल्क
1.	150/2023-24	श्री अयोध्या प्रसाद पुत्र श्री सुम्मेर ग्रा साकिन ब्लॉक मोंठ जिला झाँसी। मो०न०-9588602504 आवेदन सं०:- 10082767210 पी०टी०डब्ल्यू० पोर्टल संदर्भित	7.5 एच०पी० एल०एम०वी०-05	रु० 100.00 चालान सं०:- P53669002 दिनांक:-23.05.2023
2.	151/2023-24	श्री कुअंर राज पाल पुत्र श्री फोसे लाल ग्रा मुसावली पो करगुवां ब्लॉक मोंठ जिला झाँसी। मो०न०-8052518983 आवेदन सं०:- 1008277317 पी०टी०डब्ल्यू० पोर्टल संदर्भित	05 एच०पी० एल०एम०वी०-05	रु० 100.00 चालान सं०:- P53669214 दिनांक:-23.05.2023

3.	152 / 2023-24	श्री आशीष अग्रवाल पुत्र श्री जे पी गुप्ता ग्रा बनगुवां पो बरूआसागर ब्लॉक बड़ागॉव जिला झाँसी। मो0न0-9452594587 आवेदन सं0:- 1008277336 पी0टी0डब्ल्यू0 पोर्टल संदर्भित	03 एच0पी0 एल0एम0वी0-05	रू0 100.00 चालान सं0:- P53669268 दिनांक:-23.05.2023
4.	153 / 2023-24	श्री मती मिथलेश कुमारी पत्नी श्री रामसेवक ग्रा दिवियापुर समथर ब्लॉक मोंठ जिला झाँसी। मो0न0-9936602455 आवेदन सं0:- 1008277339 पी0टी0डब्ल्यू0 पोर्टल संदर्भित	7.5 एच0पी0 एल0एम0वी0-05	रू0 100.00 चालान सं0:- P53669278 दिनांक:-23.05.2023
5.	154 / 2023-24	श्री श्याम सिंह पुत्र श्री रणजीत सिंह ग्रा बजीता ब्लॉक मोंठ जिला झाँसी। मो0न0-8318479509 आवेदन सं0:- 1008277395 पी0टी0डब्ल्यू0 पोर्टल संदर्भित	7.5 एच0पी0 एल0एम0वी0-05	रू0 100.00 चालान सं0:- P53669413 दिनांक:-23.05.2023
6.	155 / 2023-24	श्री रमाकान्त पुत्र श्री महेन्द्र सिंह ग्रा जरयाई ब्लॉक चिरगॉव जिला झाँसी। मो0न0-7897196939 आवेदन सं0:- 1008277444 पी0टी0डब्ल्यू0 पोर्टल संदर्भित	7.5 एच0पी0 एल0एम0वी0-05	रू0 100.00 चालान सं0:- P53669496 दिनांक:-23.05.2023
7.	156 / 2023-24	श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री ग्यान सिंह ग्रा जरयाई ब्लॉक चिरगॉव जिला झाँसी। मो0न0-9005953813 आवेदन सं0:- 1008277463 पी0टी0डब्ल्यू0 पोर्टल संदर्भित	7.5 एच0पी0 एल0एम0वी0-05	रू0 100.00 चालान सं0:- P53669518 दिनांक:-23.05.2023
8.	157 / 2023-24	श्री अच्छेलाल पुत्र श्री पुन्नी ग्रा सौजना पो बझेरा ब्लॉक मोंठ जिला झाँसी। मो0न0-9793049550 आवेदन सं0:- 1008277573 पी0टी0डब्ल्यू0 पोर्टल संदर्भित	7.5 एच0पी0 एल0एम0वी0-05	रू0 100.00 चालान सं0:- P53669756 दिनांक:-23.05.2023
9.	158 / 2023-24	श्री महेन्द्र प्रताप पुत्र श्री ठाकुरदास ग्रा जरयाई ब्लॉक चिरगॉव जिला झाँसी। मो0न0-9935089892 आवेदन सं0:- 1008277609 पी0टी0डब्ल्यू0 पोर्टल संदर्भित	7.5 एच0पी0 एल0एम0वी0-05	रू0 100.00 चालान सं0:- P53669802 दिनांक:-23.05.2023
10.	159 / 2023-24	श्री खुमन पाल पुत्र श्री रम्पे ग्रा सारौल ब्लॉक चिरगॉव जिला झाँसी। मो0न0-7415226683 आवेदन सं0:- 1008277644 पी0टी0डब्ल्यू0 पोर्टल संदर्भित	05 एच0पी0 एल0एम0वी0-05	रू0 100.00 चालान सं0:- P53669861 दिनांक:-23.05.2023

नोट:- हेल्प लाइन नम्बर पर दूरभाषिक सम्पर्क स्थापित करने पर अवगत कराया गया है कि भार 7.5 एच0पी0 ऑनलाईन फीड करने पर राउण्ड ऑफ में 08 एच0पी0 होने के कम में उक्त भार को 7.5 एच0पी0 मानते हुए भार स्वीकृती जा रही है।

1. मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना अन्तर्गत किए गए आवेदनों के सापेक्ष सम्बन्धित विभाग से मिलने वाली धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त ही नियमानुसार संयोजन निर्गत करना सम्भव होगा।
2. प्रभावित 400/220/132/33/11 के0वी0 उपसंस्थानों पर स्थापित ट्रांसफार्मरों की निर्धारित अधिकतम लोडिंग सीमा से अधिक भारित होने की दशा इकाई की विद्युत आपूर्ति में कटौती की जायेगी।
3. विद्युत प्रणाली ओवर लोड होने के कारण इस बात की पूरी सम्भावना है कि विद्युत आपूर्ति में यदि ब्रेक डाउन लोड शेंडिंग तथा लो वोल्टेज की समस्याएँ विद्यमान रहें।
4. यदि आवेदक के पक्ष में उक्त विद्युत भार पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है, तो उस दशा में भी यह स्वीकृति स्वतः ही निरस्त हो जायेगी।
5. उक्त संयोजन को विद्युत आपूर्ति कारपोरेशन नियमों के अन्तर्गत की जायेगी, परन्तु प्रतिकूल परिस्थितियों में विद्युत प्रणाली की सुरक्षा हेतु समय-समय पर आवश्यकतानुसार रोस्टिंग तथा आपात कालीन रोस्टिंग की जा सकती है।
6. उक्त भार तकनीकी सम्भावता मानते हुए स्वीकृत किया जा रहा है यदि तकनीकी रूप से सम्भाव्य नहीं पाया गया तो यह स्वीकृति स्वतः ही निरस्त हो जायेगी।
7. विद्युत आपूर्ति कारपोरेशन रेट शेड्यूल में निहित वोल्टेज पर ही दी जायेगी।
8. यदि उल्लिखित परिसर/इकाई पर अथवा उपभोक्ता/आवेदक के नाम के पहले से कोई कनेक्शन रहा हो, तो उक्त भार तब तक अवमुक्त (रिलीज) नहीं किया जायेगा, जब तक कि उस पुराने कनेक्शन अथवा उपभोक्ता के विरुद्ध बकाया परिषदीय धनराशि यथा बकाया विद्युत बीजक, विद्युत चोरी का प्रकरण (यदि कोई हो) का पूरा भुगतान न भर दिया जाये। अन्य किसी कारण से यदि बकाया युक्त भूमि/परिसर पर संयोजन निर्गत हो भी जाता है तो विभाग नये संयोजन को तुरन्त निरस्त करने अथवा पूर्ण बकाया धनराशि नये संयोजन से बसूलने हेतु स्वतंत्र होगा। साथ ही यह स्वीकृति स्वतः ही निरस्त हो जायेगी।
9. कारपोरेशन द्वारा निर्धारित समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के पश्चात् विद्युत भार अवमुक्त किया जायेगा।


अधिसासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड झाँसी